दिनांक: 26-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा गुम हुए i-PHONE-X मोबाइल फोन को किया गया सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, साईबर अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी निरीक्षक नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पर गठित साईबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा शिकायतकर्ता रवि कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी रेलवे रोड थाना नागल जनपद सहारनपुर का गुम हुआ i-PHONE-X कीमत करीब 90000/- रूपये सकुशल बरामद किया गया।

प्रकरण उपरोक्त में दिनांक 23.09.2023 को शिकायतकर्ता रवि कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी रेलवे रोड थाना नागल जनपद सहारनपुर द्वारा घर जाते समय रास्ते में उसका आई-फोन जेब से निकलकर कही गिर जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना नागल पर गठित साईबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 26.09.2023 को शिकायतकर्ता के गुम हुये i-PHONE-X को सकुशल बरामद किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा सहारनपुर पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

फोन को बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना नागल जनपद सहानपुर
2. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
3. कम्प0 आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
4. का0 2163 उमेश कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर

दिनांक: 26.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

➢ थाना देवबन्द पुलिस की गोतस्करो के साथ मुठभेड़
➢ मुठभेड़ में 01 गोकश बदमाश घायल/गिरफ्तार
➢ 01 तमंचा 315 बोर, 04 जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद
➢ करीब 15 किलो गोमांस व गोकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा गोकशी की घटनाओ को रोकने व गोकशी के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 26.09.2023 की प्रातः थाना देवबन्द पुलिस को **मुखबिर द्वारा सूचना** मिली कि भनेडा रोड पर ईख के खेत में कुछ गोतस्कर गोकशी कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी देवबन्द मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने गोतस्करो को पकडने का प्रयास किया तो गोतस्करो ने अपने को घिरता देख पुलिस पर गोली चला दी। थाना देवबन्द पुलिस द्वारा भी **आत्मरक्षार्थ** जवाबी फायरिंग की गयी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक गोकश घायल हो गया तथा इसके अन्य दो साथी मौके से फरार हो गये। घायल गोकश अभियुक्त का नाम **मुजीब पुत्र जियाउल निवासी ग्राम फुलास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** है। घायल/गिरफ्तार गोकश अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा फरार अभियुक्तो की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर **मु0अ0सं0 517/2023 धारा 307 भादवि व 3/25/27 शस्त्र अधि0 व 3/5/8 CS Act** पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त मुजीब उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वह आवारा घुमते पशुओं को पकड़कर जंगल में एकान्त स्थान पर ले जाकर अपने साथियो के साथ मिलकर गौकशी करता हैं और उनके मांस को अलग-अलग स्थान पर बेच देता है जिससे हम लोगों की अच्छी कमाई हो जाती है और मांस बेचकर जो पैसा मिलता हैं, उन पैसो को हम लोग बराबर बराबर हिस्सो मे बांट लेते हैं । और अपनी जरूरतो को पूरा करने में खर्च करते है ।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मुजीब पुत्र जियाउल निवासी ग्राम फुलास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 04 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- करीब 15 किलो गोमांस
- गोकशी के उपकरण

अभियुक्त मुजीबरहमान उर्फ छोटा का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0- 10/19 धारा 323/504/506/354 भा.द.वि चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0-475/21 धारा 8/22 NDPS ACT चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0- 517/23 धारा 34/307 भा.द.वि व 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. है0का0 रजनीश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 अमित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. का0 विनोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक: 26-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार 01

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकवारण्टी अभियुक्तों की /सहारनपुर के निर्देशन में वांछित , गिरफ्तारी हेतु चालाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा दविश देकर 01 वारन्टी अभि 0**रहीश पुत्र जुल्फान निमिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 0** सम्बन्धित वाद संख्या 132/2018 धारा 125(3) सीआरपीसी को दविश देकर दिनांक 26.09.को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर 23 वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

रहीश पुत्र जुल्फान निमिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 0 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1-उ श्री असगर अली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर। 0नि0

2-काश्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर। 2284 0

3-का संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर । 2453 0

दिनांकः 26-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुरसहारनपुर पुलिस द्वारा , 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तारग्राम 300 कब्जे से , अवैध चरसबरामद

अवगत कराना है किवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थो एवं नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **वसीम पुत्र सलीम निवासीग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर -** को चैकिंग के दौरान फैजाबाद पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी 300जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त वसीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु145 0स0अ0/धा 23रा 8/एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया 20। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने परबताया कि मैं मजदूरी करता हूँ मेरे परिवार की स्थिति कमजोर है इसलिए मै पैसे कमाने के लालच में विकासनगर से एक अजनबी व्यक्ति से खरीदी थी जिसे आज मैं अपने यहाँ बेचने जा रहा था कि रास्ते में आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

वसीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम मिर्जापुर -पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- ग्राम अवैध चरस 300

अभियुक्त वसीम का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 125/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 145/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्र 0नि0श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उअसगर अली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 0नि0।
3. हैसंजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 424 0का0।
4. हैअमित राठी थाना मिर्जापुर जिलासहारनपुर 891 0का0।

दिनांक: -2609-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर ,प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की स्मार्ट वॉच सहित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ,के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में ,पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 24.09.को थाना 23 422 0सं0अ0स्थानीय पर पंजीकृत मु/457 धारा 23/ 380/1 भादवि के वान्छित अभियुक्त 411.साहिब पुत्र सल्लू निवासी मौहल्ला इन्द्रा कालौनी कस्बा बेहट सहारनपुर को आज दिनाँक 26.09.को कलसिया तिराहे से 23 गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गयी एक स्मार्ट वॉच बरामद की न्यायालय के समक्ष पेश किया ज 0गयी। अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर मा◌ा रहा है।

अभियुक्त साहिब ने पूछताछ पर बताया कि साहब मै अनपढ हूँ तथा मुझे नशे का आदी हूँ तथा मै अनपढ होने के कारण मजदूरी करता हूँ जिससे घर का गुजारा नही हो पाता है। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैने अपने साथी अमजद व शाकिर नि कस्बा बेहट के साथ 0मिलकर ग्राम सढौली कदीम मे जाकर तीनो ने मिलकर दिनाँक 22/23-9-की रात्रि मे रूपेश के घर मे घुसकर एक हा 23र 02 ,अंगूठी सोने की 02 अंगूठी चाँदी की01 , जोडी पाजेब व 01 मोबाईल फोन व दो स्मार्ट वाँच चोरी कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. साहिब पुत्र सल्लू निवासी मो इन्द्रा कालौनी कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर 0

विवरण बरामदगी: -

01एक स्मार्ट वॉच बरामद

गिरफ्तार करने वालो के नाम-:

1. श्री योगेश शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ श्री भारत सिंह थाना कोतवाली 0नि0बेहट जनपद सहारनपुर
3. हैसुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर 521 0का0

दिनांक: 26-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा रंगदारी माँगने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.9.बडजियाउलहक थाना 0मौ 0को वादी लुतफुर्रहमान पुत्र शमीम नि 2023 देवबन्द जिला सहारनपुर ने थानाउपस्थित आकर सूचना दी थी कि खालिद व उसके दो अज्ञात साथियों के द्वारा हजार रूपये की रंगदारी 50मांगने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर पर मु0सं0अ0- 507/ वि.द.भा 386 धारा 23के अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेशनिर्देश निर्गत किये गये- । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.09. को उपरोक्त मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त 2023 **खालिद पुत्र नवाब उर्फ बाबू निवाली गली कस्बा व थाना ,बडजियाउलहक निकट हाजी आबिद 0मौ 0 देवबन्द जिला सहारनपुर**को तल्हेडी चुंगी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मान्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 0

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

- खालिद पुत्र नवाब उर्फ बाबू निवाली गली कस्बा व थाना देवबन्द ,बडजियाउलहक निकट हाजी आबिद 0मौ 0 जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0श्री लालजी राठौर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 0नि0
2. कां कासिम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 1434 0

दिनांक:26-09-23

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.09.23 को मु0अ0स0-287/2023 धारा 147/148/307/323/506 भादवि से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त **शमशाद पुत्र रियासत निवासी ग्राम मोहनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को चौराहे से ननौता जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शमशाद पुत्र रियासत निवासी ग्राम मोहनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 उपेन्द्र राणा , थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

2. है0का0 494 योगेश कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

3.का0 922 वंश गोलियान, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

दिनांक:26-9-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26-09-23 को दौराने चैकिंग अभियुक्त **मोनू उर्फ मोहना पुत्र अकबर निवासी ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर को दूधला चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से** चोरी की 01 सैम्पिल (सफेद धातु) व 01 चैन (सफेद धातु) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/2023 धारा 457/380 भादवि बनाम मोहना उर्फ मोनू के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मोनू उर्फ मोहना ने पूछने पर बताया कि जो सामान मेरे से मिला है। यह सामान मैने अपने ही गांव के संजय पुत्र प्रेमचनद की सुनहार की दुकान की दिवार तोडकर दुकान के अन्दर से दिनांक 11.09.23 की रात को अपने साथियो शुभम व शिवम के साथ मिलकर चोरी किया था दुकान से कुछ पैसे मिले थे जिसमे मेरे हिस्से मे 1000 रूपये व मेरे पास से मिली यह दो चीजे आयी थी। पैसे मैने मौज मस्ती मे खर्च कर दिये है। आज मै इन चीजों को किसी चलते फिरते व्यक्ति या किसी दुकान पर बेचने जा रहा था कि रास्ते में आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पताः-

- मोनू उर्फ मोहना पुत्र अकबर निवासी ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 सैम्पिल सफेद धातु
- 01 चैन सफेद धातु

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
2. हे0का0 494 योगेश कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
3. का0 1029 नितिन कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांक:26-9-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

साईबर सेल, सहारनपुर द्वारा साईबर ठगी के शिकार हुए व्यक्ति के खाते में 75483/- रूपये कराये गये वापस

अवगत कराना है कि आज दिनांक 26-09-2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे, साईबर अपराध की रोकथाम व साईबर ठगी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण मे तथा साइबर सेल प्रभारी श्री अशोक सोलंकी के कुशल नेतृत्व मे साइबर सेल टीम द्वारा 75483/- रूपये की धनराशि मा० न्यायालय के आदेशानुसार पीडित/शिकायकर्ता श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर के खाते में सकुशल वापस कराये गये।

प्रकरण उपरोक्त में दिनांक 25.03.2023 को शिकायतकर्ता राजपाल सिंह द्वारा 1930 (साइबर पोर्टल) पर साईबर शिकायत संख्या 23103230023899 पंजीकृत कराई गई थी। जिसमें शिकायकर्ता से अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से धोखाधडी के माध्यम से 99999/- रूपये का फ्रॉड किया गया था उक्त प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करते हुये कोटक महिंद्रा बैंक के फ्राड खाते में 75483/- रूपये होल्ड कराये गये थे। आज दिनांक 26.09.2023 को 75483/- रूपये की धनराशि मा० न्यायालय के आदेशानुसार शिकायतकर्ता श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर के खाते में सकुशल वापस कराये गये।

धोखाधडी में गई धनराशि को वापस कराने वाली साईबर सेल टीम-

1. प्र0नि0 श्री अशोक सोलकी साइबर सेल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विक्रांत सिंह भडाना साइबर सेल जनपद सहानपुर
3. का0 496 गौरव कुमार साइबर सेल जनपद सहारनपुर
4. का0 2222 मोहित कुमार साइबर सेल जनपद सहारनपुर
5. का0 2195 अनिल कुमार साइबर सेल जनपद सहारनपुर
6. का0 69 अजय साइबर सेल जनपद सहारनपुर

दिनांकः 26-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा मन्दिर मे सफाई करते समय एक राय होकर मारपीट करने वाले वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.09.2023 वादी श्री विकास पुत्र बबली ग्राम सुभरी मेहराब थाना नागल, सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर लिखित प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण जीशान पुत्र इस्लाम, रिहान पुत्र रूहली, बिलाल पुत्र इरशाद व अफजल उर्फ जाल्ली पुत्र निसार निवासीगण सूभरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा मंदिर गोगा म्हाडी की समिति के सदस्य के साथ मंदिर की साफ सफाई करते समय गाली गलौज कर मारपीट करना व पथराव करना व अन्य काफी लड़को को शेखपुरा कदीम से बुला उनसे भी पथराव करवाना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/23 धारा 147/148/323/336/504/506 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अतिशीघ्र अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह यादव के कुशल नेतृत्व मे दिनाँक 25.09.2023 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित चल रहे अभियुक्तगण जीशान पुत्र इस्लाम, रिहान पुत्र रूहली, बिलाल पुत्र इरशाद व अफजल उर्फ जाल्ली पुत्र निसार निवासीगण सूभरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर को थाना क्षेत्र नागल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया कि साहाब दिनाँक 25.09.2023 को हम लोगो ने अपने साथियो के साथ मेला देखने के लिये गये थे। वहीं पर हम लोगो की आपस मे कहा सुनी हो गयी थी। जिस सम्बन्ध मे विकास उपरोक्त द्वारा हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. जीशान पुत्र इस्लाम निवासी सूभरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. रिहान पुत्र रूहली निवासी सूभरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. बिलाल पुत्र इरशाद निवासी सूभरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. अफजल उर्फ जाल्ली पुत्र निसार निवासी सूभरी ख्वाजा थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का0 2456 अखिलेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर